an>

Title: Regarding problems being faced by brick kiln workers in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ईंट भट्टा मजदूरों की समस्याओं की तरफ आकर्Âि◌ात करना चाहता हूं। आज विकास की भौतिक और अंधी दौड़ में ईंट और पत्थरों के विशालकाय जंगल खड़े होते जा रहे हैं। अवैध रूप से लगने वाले इन ईंट भट्टों के जो कारखाने हैं, इनके कारण न केवल हजारों पेड़ों को काटा जा रहा है, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में जीव-जंतुओं के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। संगठित क्षेत्र में लगभग आठ प्रतिशत मजदूर हैं और असंगठित क्षेत्र में 92 प्रतिशत मजदूर काम करते हैं। ईंट-भट्टों मे काम करने वाले मजदूर भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार ने चालीस कानून बनाये हैं, लेकिन ईंट भट्टा उद्योग में काम करने वाले करोड़ों मजदूरों के लिए कोई कारगर कानून नहीं बनाया गया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक ईंट-भट्टा में दसियों तरह के काम किये जाते हैं, जिसमें लगभग 175 श्रमिक काम करते हैं और उसमें लगभग चालीस प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। चार साल से पांच साल का उनका बच्चा भी वहां पर काम करता है, लेकिन ईंट-भट्टों में काम करने वाले मजदूरों के अशिक्षित होने के कारण उन्हें श्रम कानूनों की जानकारी नहीं होती है, इसके कारण वहां जो काम करने वाले स्थान होते हैं, वहां न तो आंगनबाड़ी होती है, न बालबाड़ी होती है, न स्कूल होता है और न पालनाघर होता है और वहां जो मजदूर काम करते हैं, वे अनेक तरह के चर्म रोगों और टी.बी. के शिकार हो जाते हैं और उनकी चिकित्सा की वहां कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 कहता है कि कोई मजदूर एक स्थान पर यदि छः महीने तक लगातार काम करता है तो उसके अस्वस्थ होने पर उसकी चिकित्सा की व्यवस्थाएं वहां के प्रबंधन को करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत ईंट भट्टों में काम करने वाले मजदूरों के लिए श्रम सुरक्षा कानूनों के पुख्ता प्रबंध किये जाएं और उनकी चिकित्सा की तथा उनके बच्चों की शिक्षा की वहां पर उचित व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री नाना पटोले, श्री देवजी एम.पटेल, डा.किरीट सोलंकी, श्री नारणभाई भिखाभाई काछड़िया, श्री निशिकान्त दुबे, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री पी.पी.चौधरी, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को डा.वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

I am giving you a chance. Please wait for some time.